दंडमुक्ति को बढ़ावाः सेना के जवानों पर मुकदमा चलाने से इंकार

द हिन्दू

पेपर-III
(आंतरिक सुरक्षा)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिसंबर 2021 में एक असफल अभियान में 13 नागरिकों की हत्या के लिए 30 सैन्य कर्मियों पर मुकदमा चलाने के लिए नागालैंड पुलिस को मंजूरी देने से इनकार कर के केंद्र सरकार ने एक चिंताजनक संदेश दिया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सरकार उग्रवाद प्रभावित राज्यों में हत्याओं पर कार्रवाई करने में असमर्थ या अनिच्छुक है।

मामला क्या है?

असम की सीमा से सटे एक कोयला खदान से वाहन में घर लौट रहे छह श्रमिकों को मोन जिले के ओटिंग गांव में सुरक्षाबलों ने मार गिराया था। बाद में सात और ग्रामीणों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जिन्होंने सेना के वाहन में लाशों को देखा था। सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (अफस्पा) की धारा 6 के तहत सैन्य कर्मियों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होती है।

नागालैंड पुलिस की माँग

नागालैंड पुलिस के एक विशेष जाँच दल ने मार्च 2022 में अपनी जाँच पूरी की और मामले में आरोप पत्र दायर किया। इसने रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग से मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। पुलिस ने दावा किया था कि उन्होंने 30 सैन्यकर्मियों की हत्याओं में संलिप्तता साबित कर दी है जिन्होंने कथित तौर पर मानक संचालन प्रक्रियाओं और नियमों का उल्लंघन किया और वाहन पर अंधाधुंध गोलीबारी का सहारा लिया। इस बीच सेना ने कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश भी दिए, लेकिन इसका नतीजा नहीं निकला है। इसमें शामिल सैन्यकर्मियों की पत्नियों की याचिकाओं पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई 2022 में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी।

अधिसूचित क्षेत्रों को घटाना एवं शांति के प्रयास

केन्द्र अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार देने वाले कानून के दायरे में आने वाले क्षेत्रों को कम करने के लिए काफी उत्सुक रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार को देखते हुए इसने हाल के वर्षों में नागालैंड, असम और मणिपुर में अधिसूचित क्षेत्रों को कम कर दिया है।

राजनीतिक मोर्चे पर सरकार शांति समझौतों और विद्रोहियों तथा चरमपंथियों को हथियार के साथ आत्मसमर्पण की दिशा में काम कर रही है। हालांकि, शांति और विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने और हथियार डालने वालों को भागीदार बनाने की समग्र नीति के साथ यह फैसला असंगत जान पड़ता है। अगर सरकार ने फौजदारी अदालतों को यह तय करने की अनुमति दी होती कि सेना के जवानों को दोषी ठहराया जा सकता है तो इसका श्रेय सरकार को ही जाता।

निष्कर्ष

ज्यादतियों में शामिल सशस्त्र बलों के कर्मियों पर मुकदमा चलाना काफी दुर्लभ है, जिससे यह व्यापक धारणा बनती है कि अफस्पा का उपयोग इन बलों को दंड के भय के बिना कार्रवाई करने की छूट को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। सरकार को इस इलाके में शांति कायम करने और पीड़ितों को न्याय दिलवाने के लिए या तो उनके अभियोजन के लिए मंजूरी देनी चाहिए या फिर सैन्य अदालत के निष्कर्षों के आधार पर अनुकरणीय कार्रवाई करनी चाहिए।

अशांत क्षेत्र

- यदि किसी राज्य के राज्यपाल या केंद्र सरकार को किसी भी राज्य या संघ शासित क्षेत्र के मामले में यह लगे, कि वहां की स्थिति इतनी ज्यादा अशांत और खतरनाक है, कि सिविल अधिकारियों के सहयोग के लिये सैन्य बलों का प्रयोग आवश्यक है। तो उस राज्य या संघ शासित क्षेत्र का राज्यपाल या केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी कर उस राज्य या संघ शासित क्षेत्र को या उसके किसी हिस्से को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकती है। जिसके बाद वहाँ केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया जाता है।
- अशांत क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976 के अनुसार, एक बार अशांत घोषित होने के बाद, क्षेत्र को तीन महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र के रूप में बनाए रखा जाता है। विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा, क्षेत्रीय समूहों, जातियों, समुदायों के बीच मतभेद या विवादों के चलते राज्यपाल या केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करती है। राज्य सरकारें यह सुझाव दे सकती हैं कि इस अधि नियम को लागू किया जाना चाहिए अथवा नहीं, परंतु उसके सुझाव को मानने या न मानने की शक्ति राज्यपाल अथवा केंद्र सरकार के पास होती है।

अशांत क्षेत्र अधिनियम (डीएए)

असम अशांत क्षेत्र अधिनियम 1955 में नागा विद्रोह को दबाने के लिए नागालैंड के लिए शुरू किया गया था। इस अधिनियम को मिनी अफस्पा कहा जाता है क्योंकि यह सशस्त्र बलों को अफस्पा के समान अधिकार प्रदान करता है। राज्य सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पूरे या जिले के किसी भी हिस्से को अशांत क्षेत्र घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। इसमें अंतर केवल इतना है कि DAA को राज्य की शक्ति के रूप में प्रदान किया जाता है, लेकिन AFSPA को राज्य के राज्यपाल या केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जा सकता है।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA)

- AFSPA सशस्त्र बलों और "अशांत क्षेत्रों" में तैनात केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने तथा बिना वारंट के किसी भी परिसर की तलाशी लेने एवं अभियोजन तथा कानूनी मुकदमों से सुरक्षा के साथ निरंकुश अधिकार देता है।
- नगाओं के विद्रोह से निपटने के लिये यह कानून पहली बार वर्ष 1958 में लागू हुआ था। इस अधिनियम को वर्ष 1972 में संशोधित किया गया था और किसी क्षेत्र को "अशांत" घोषित करने की शक्तियाँ राज्यों के साथ-साथ केन्द्र सरकार को भी प्रदान की गई थी।
- त्रिपुरा ने वर्ष 2015 में अधिनियम को निरस्त कर दिया तथा मेघालय 27 वर्षों के लिये AFSPA के अधीन था, किन्तु इसे 1 अप्रैल, 2018 को इसे गृह मंत्रालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
- वर्तमान में अफस्पा असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है जबकि जम्मू कश्मीर में सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष अधिकार अधिनियम, 1990 के तहत कुछ क्षेत्रों में लागू है।

अफस्पा अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- अफस्पा की धारा (3) में प्रावधान है कि यदि किसी राज्य का राज्यपाल भारत के राजपत्र में आधिका. रिक अधिसूचना जारी करता है तो केंद्र सरकार को नागरिक अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों को तैनात करने का अधिकार है। एक बार जब किसी क्षेत्र को 'अशांत' घोषित किया जाता है तो उसे 1976 के अशांत क्षेत्र अधिनियम के अनुसार कम से कम तीन महीने के लिए यथास्थिति बनाए रखनी होगी।
- अफस्पा की धारा (4) अशांत क्षेत्रों में सेना के अधि कारियों को कानून का उल्लंघन करने वाले / या कानून का उल्लंघन करने का संदेह करने वाले किसी भी व्यक्ति को गोली मारने (भले ही वह मार डाले) के लिए विशेष अधिकार देती है (इसमें पांच या अधिक लोगों की सभा, हथियार ले जाना शामिल है) आदि। केवल शर्त यह है कि अधिकारी को गोली चलाने से पहले चेतावनी देनी होगी।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश

1998 में नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ के मामले में, अफस्पा की स्थिति को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विशिष्ट चुनौती दी गई थी और पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि अधिनियम को संविधान और इसके तहत प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। अधिनियम की धारा 4 और 5 मनमानी और अनावश्यक नहीं है और इसलिए संविधान का उल्लंघन नहीं है। इसके अलावा, कहा गया है कि निषेधात्मक का उल्लंघन करने के संदेह में धारा 4 के तहत सेना को न्यूनतम बल का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। धारा 4 के तहत गिरफ्तारियां और हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर वायरलेस पुलिस स्टेशन को सौंप दिया जाता है। इसी तरह के कुछ आदेश उच्चतम न्यायालय ने 2016 से 2017 में भी दिए।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. अफस्पा की धारा (4) अशांत क्षेत्रों में सेना के अधिकारियों को कानून का उल्लंघन करने वाले/या कानून का उल्लंघन करने का संदेह करने वाले किसी भी व्यक्ति को गोली चलाने का विशेष अधिकार देती है।
2. वर्तमान में अफस्पा- असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है जबकि जम्मू कश्मीर में सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष अधिकार अधिनियम, 1990 के तहत कुछ क्षेत्रों में लागू है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements–

1. Section (4) of the AFSPA gives special powers to army officers in disturbed areas to shoot anyone violating the law and/or suspected of violating the law.
2. AFSPA is currently in force in parts of Assam, Nagaland, Manipur and Arunachal Pradesh while Jammu and Kashmir is in force in some areas under the Armed Forces (Jammu and Kashmir) Special Powers Act, 1990.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2

(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

उत्तर : C

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : मानवाधिकार सक्रियतावादी लगातार इस विचार को उजागर करते हैं कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (AFSP) एक क्रूर अधिनियम है, जिससे सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकार के दुरुपयोगों के मामले उत्पन्न होते हैं। इस अधिनियम की कौन-सी धाराओं का सक्रियतावादी विरोध करते हैं? उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार के संदर्भ में इसकी आवश्यकता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर का दृष्टिकोण :-

- ❖ सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 बारे में बताये।
- ❖ अफस्पा के दुरुपयोग से जुड़ी चिंताओं को बताये।
- ❖ अफस्पा की कौन-सी धाराओं का सक्रियतावादी विरोध करते हैं बताये।
- ❖ उच्चतम न्यायालय के आदेश को बताते हुए संतुलित निष्कर्ष दीजिये।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।